BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

APPLICANTS- **Dr. P.G Najpandey & Rajat Bhargav**

- Versus –

RESPONDENTS **Union of India & others**

--INDEX--

S. No.	Particulars of Document	Annexure	Page No.
1.	Index	—	1
2.	Synopsis	—	2–3
3.	Chronology of Events	—	4–5
4.	Memorandum of Application	—	6–18
5.	Affidavit of Applicant No. 1	—	19
6.	Affidavit of Applicant No. 2	—	20
7.	List of Documents	—	21
8.	Copy of Aadhaar Cards of Applicants	A/1	22-23
9.	Copies of written representations submitted to authorities regarding contaminated drinking water and pipelines passing through drains	A/2	24–26
10.	Copies of newspaper reports and photographs relating to contaminated drinking water, pipelines passing through drains, and sewage ingress	A/3	27–36
11.	Copy of newspaper article dated 04.02.2026 regarding unsafe drinking water in Madhya Pradesh	A/4	37
12.	Photograph of public gathering/demonstration highlighting the issue of contaminated drinking water	A/5	38
13.	Vakalatnama	—	39
14.	Court fees	—	

Place:-Jabalpur
Date: - 16 /02/2026

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 D.: 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

16 FEB 2026

Counsel for the Applicant- Prabhat kumar Yadav.
Office Address: New Market Dhanwantri Nagar, Jabalpur (M.P.)-482003 , Mobile- 8770168425

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

(2)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

APPLICANTS- **Dr. P.G Najpandey & Rajat Bhargav**

- Versus –

RESPONDENTS- **Union of India & others**

--SYNOPSIS--

The present Original Application is being filed under Sections 14, 15 and 18 of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking urgent intervention of this Hon'ble Tribunal with respect to **serious and continuing contamination of drinking water in Jabalpur city, Madhya Pradesh**, caused by defective, obsolete and illegally laid water supply pipelines of municipal nagar nigam Jabalpur , passing through open drains and nalas, resulting in mixing of sewage and polluted drain water with potable water supplied to residents.

Newspaper reports placed on record consistently reveal that a substantial portion of Jabalpur's drinking water distribution network passes through drains and sewage channels, and that the pipelines are **40–50 years old**, damaged, corroded and leaking. Due to low pressure and structural failure, contaminated drain water is entering drinking water pipelines, leading to the supply of **foul-smelling, muddy and unsafe water** to households across multiple localities, posing grave risks to public health.

Investigative reports and findings of the Pollution Control Board, as reported in the media, describe the drain water of Jabalpur as **"extremely polluted" and unfit even for irrigation or discharge**, clearly establishing that any mixing of such water with the drinking water supply constitutes a serious environmental and public health emergency. Despite this scientific assessment and repeated public complaints, effective corrective measures have not been implemented.

The newspaper cuttings further demonstrate that although the State Government and local administration are fully aware of the problem—evidenced by cabinet-level discussions, issuance of SOPs, and public assurances—**Jabalpur has been consistently neglected** in terms of infrastructure prioritisation,

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

financial allocation and execution of remedial works. Pipelines passing through drains have neither been removed nor replaced, no comprehensive DPR has been prepared, and funds available under relevant schemes have not been effectively utilised for addressing the core issue.

Citizen representations submitted by public bodies have repeatedly highlighted that nearly **80% of the drinking water pipelines in Jabalpur pass through nalas**, yet no concrete steps have been taken to identify, relocate or replace such pipelines. This prolonged inaction reflects administrative apathy and failure of statutory duties by the concerned authorities, resulting in a **continuing environmental wrong**.

The supply of contaminated drinking water violates the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974**, the **Environment (Protection) Act, 1986**, and the fundamental right to life under **Article 21 of the Constitution**, which includes the right to clean and safe drinking water. The situation also attracts the **precautionary principle** and **polluter pays principle**, as recognised under environmental jurisprudence and enforceable by this Hon'ble Tribunal.

The Applicant has approached this Hon'ble Tribunal in the larger public interest, as the ongoing contamination of drinking water in Jabalpur has resulted in serious health hazards, degradation of environmental quality and violation of statutory and constitutional obligations. The present Original Application raises substantial questions relating to save the drinking clean water with save environment and seeks immediate directions to protect public health, ensure safe drinking water, and enforce environmental rule of law.

Place:-Jabalpur
Date: - 16 /02/2026

16 FEB 2026

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37017 DT. 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

16 FEB 2026

Counsel for the Applicant- Prabhat kumar Yadav.
Office Address: New Market Dhanwantri Nagar, Jabalpur (M.P.)-482003 , Mobile- 8770168425

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

(4)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

APPLICANTS- **Dr. P.G Najpandey. & Rajat Bhargav**

- Versus –

RESPONDENTS- **Union of India & others**

CHRONOLOGY OF EVENTS

S. No.	Date / Period	Particulars
1.	Prior to 2015	Drinking water supply pipelines in Jabalpur city were laid decades ago, many of which pass through open drains and nalas. Over time, the pipelines became old, corroded and structurally weak, creating risk of contamination of potable water.
2.	2015–2018	Residents of various localities in Jabalpur began repeatedly complaining about supply of foul-smelling, muddy and contaminated drinking water, particularly during low pressure supply, indicating mixing of sewage and drain water with potable water.
3.	2019–2020	Media reports started highlighting that a substantial portion of Jabalpur's drinking water pipelines pass through nalas and sewage drains, and that pipelines had not been replaced for 40–50 years, despite their average life being about 20 years.
4.	2021	Reports and inspections revealed that pipelines passing through drains were neither removed nor replaced, and only temporary repairs were undertaken, resulting in recurrence of contamination and wastage of water.
5.	2022	Despite availability of State and Central schemes for drinking water infrastructure, no comprehensive DPR was prepared for removal or replacement of pipelines passing through drains in Jabalpur city.
6.	2023	Newspaper investigations revealed that nearly 80% of drinking water pipelines in Jabalpur pass through nalas, and that sewage and drain water frequently enter pipelines due to leakage and low pressure, causing serious public health risks.
7.	13.01.2026	A cabinet meeting was held at Bhopal to discuss drinking water arrangements in the State, wherein Jabalpur was not

NOTARY SURENDR. KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2027 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 ..... Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

		given due priority or allocation, despite serious and well-documented water contamination issues in the city.
8.	14.01.2026	Pollution Control Board findings, as reported in the media, declared that the drain water of Jabalpur is "extremely polluted" and unfit even for irrigation or discharge, clearly establishing the severity of contamination risk where pipelines pass through drains.
9.	15.01.2026	A detailed representation was submitted by Nagarik Upbhokta Margdarshak Manch to the Principal Secretary (Urban Administration) and the Mayor, Jabalpur, highlighting that 80% pipelines pass through nalas, pipelines are overaged, and that no effective steps have been taken to ensure safe drinking water.
10.	20.01.2026	Another representation was submitted by the said forum pointing out that no DPR had been prepared for removal of pipelines passing through drains, resulting in Jabalpur being excluded from additional funding, while other cities received allocations.
11.	January 2026	Newspaper reports continued to highlight supply of contaminated drinking water, failure to replace pipelines, non-implementation of SOPs, and administrative inaction despite repeated warnings and public complaints.
12.	2026 (Present)	The contamination of drinking water in Jabalpur continues unabated, posing serious risks to public health and the environment, and constituting a continuing cause of action, compelling the Applicant to approach the Hon'ble National Green Tribunal by way of the present Original Application.

Place:-Jabalpur
Date: - 16 /02/2026

Counsel for the Applicants- Prabhat kumar Yadav
Office Address: New Market Dhanwanti Nagar, Jabalpur
(M.P.)-482003

16 FEB 2026

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

16 FEB 2026

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

(6)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRALZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

IN THE MATTER OF:

AAPLICANTS

Applicant No. 1 -- DR. P.G. Najpandey

Age : About 88 Years

Father's Name : Late Shri Govind Najpandey

Address : House NO. 6/47, Ranmagar ,Adhartal , Maharshi , Mahesh Yogi ward , District Jabalpur (M.P) – 482001

Aadhaar No. 8439 6707 8652

Mobile NO. 9827272499

Applicant No.2 --Rajat Bhargav

Age : About 52 Years

Father's Name : Late Shri Sunil Bhargav

Address: House NO. 35/C, Naya Gaon Rampur , New Shanti Bhawan , Rampur, District Jabalpur (M.P) – 482008

Aadhaar No: 2020 2482 5991

Mobile No. 9669812013

RESPONDENTS:

1. **Union of India**
   Through the Secretary,

NOTARY SURENDRA KUMAR DHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 Dt. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC),
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi – 110003.

E-mail- secy-moef@nic.in.

2. **Central Pollution Control Board (CPCB)**
(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974)
Through the Member Secretary,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

E-mail – ccb.cpcb@nic.in.

3. **State of Madhya Pradesh**
Through the Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.) – 462004.

E-mail- cs@mp.nic.in

4. **Divisional Commissioner, Jabalpur Division**
Jabalpur, Madhya Pradesh.

E-mail – commjabalpur@mp.gov.in

5. **Collector, District Jabalpur**
Jabalpur, Madhya Pradesh – 482002.
E-mail- dmjabalpur@nic.in

6. **Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB)**
Through the Member Secretary,
Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) – 462016.

NOTARY SURENDRA KUMAR PARE JABALPUR DISTRICT REGD. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

E-mail – ms@mppcb.mp.gov.in

7. Municipal Corporation, Jabalpur
Through the Commissioner,
Jabalpur, District Jabalpur (M.P.) – 482002.

E-mail- commjabalpur@mpuurban.gov.in

MEMORANDUM OF APPLICATION UNDER SECTIONS 14, 15 & 18 OF THE N.G.T. ACT, 2010

1. PARTICULARS OF THE APPLICANT

The Applicants are social activists, permanent residents of Jabalpur, Madhya Pradesh, and are working in the NGO "Nagrik Upbhokta Margdarshak Manch, Jabalpur", a citizens' and consumer welfare organisation engaged in matters of public interest, civic amenities, public health and environmental protection. The Applicants have no personal, private or pecuniary interest in the present matter and are approaching this Hon'ble Tribunal purely in public interest for protection of public health and for securing the right to clean and safe drinking water for the residents of Jabalpur city.

Copy of Aadhaar Cards of Applicants Has been Annexed as the A1

2. PARTICULARS OF THE RESPONDENTS

The Respondents include the State of Madhya Pradesh and its instrumentalities, including the Urban Administration Department, Jabalpur Municipal Corporation, District Administration, State Pollution Control Board and Environment Department, who are statutorily entrusted with the duty to ensure safe drinking water supply, prevent water pollution, maintain water infrastructure, and implement environmental laws.

The addresses and complete particulars of the Respondents are detailed in the accompanying **Memo of Parties** for the purpose of service.

KUMAR KHARE
JABALPUR DISTRICT
REGN. No. 37917
DT. 06/02/2025
EX. 06/02/2030
GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

3. DECLARATION

The Applicant most respectfully declares that:

a) The present Original Application is bona fide and filed in public interest concerning contamination of drinking water in Jabalpur due to broken and leaking pipelines passing through drains and sewage nalas;

b) No other Original Application on the same cause of action is pending before this Hon'ble Tribunal;

c) Prior representations have been made to the competent authorities regarding contaminated drinking water supply and failure to replace old pipelines, but no effective action has been taken;

d) The Applicant has approached this Hon'ble Tribunal with clean hands and without suppression of any material fact.

---

4. JURISDICTION

This Hon'ble National Green Tribunal has jurisdiction under Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010, as the present matter relates to:

a) continuing contamination of drinking water and failure to prevent water pollution, attracting the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Environment (Protection) Act, 1986;

b) a cause of action arising within Jabalpur city, Madhya Pradesh, falling within the territorial jurisdiction of the Central Zone Bench;

c) substantial questions relating to the environment and public health, including violation of the right to safe drinking water under Article 21 of the Constitution of India.

---

5. DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED

Prior to approaching this Hon'ble Tribunal, the Applicant and concerned citizens have:

NOTARY SURENDR KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

a) submitted representations regarding drinking water pipelines passing through drains and sewage nalas, resulting in contamination;

b) relied upon Pollution Control Board findings and newspaper reports highlighting polluted drain water and associated health risks;

c) pointed out continued use of 40–50-year-old pipelines far beyond their safe life and absence of any comprehensive DPR for replacement.

Despite these efforts, no effective or time-bound remedial action has been taken, leaving the Applicant with no efficacious alternative remedy except to approach this Hon'ble Tribunal.

---

6. DELAY AND LIMITATION

There is no delay in filing the present Original Application.
The cause of action is continuous and recurring, as contaminated drinking water continues to be supplied on a daily basis due to broken pipelines, leakage and sewage ingress. The present application is therefore within limitation.

7. FACTS OF THE CASE

1. The present case arises from the continued and unresolved problem of **drinking water supply pipelines passing through open drains and sewage nalas in Jabalpur city**, which has been repeatedly brought to the notice of the concerned authorities through written representations. The said pipelines remain exposed to sewage, filth and polluted drain water, resulting in contamination of drinking water supplied to residents.**Copies of the written representations submitted to the concerned authorities are annexed herewith and marked as *Annexure A-2.***

2. It has been specifically pointed out in the representations that a substantial portion of the drinking water pipeline network in Jabalpur is **old, damaged and obsolete**, with many pipelines having exceeded their normal life span. Due to corrosion and frequent leakages, sewage and drain water enter the pipelines, rendering the supplied water unsafe

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

for human consumption. This condition has been consistently reported in the public domain.

3. As reported in newspaper publications, a **Central Government survey report issued in December 2025** found that **only 54.3% of the drinking water supplied in Jabalpur is potable**, clearly indicating widespread contamination in the water supply system.

4. Due to broken and leaking pipelines, **large quantities of treated drinking water are being wasted on a daily basis**, running into lakhs of litres. The leaked water flows into drains and roads, resulting in avoidable loss of precious drinking water, wastage of public resources and aggravation of water scarcity in the city.

5. The continuous leakage from pipelines has also led to **waterlogging on roads and public places**, causing inconvenience to residents, damage to infrastructure and unhygienic conditions, thereby increasing the risk of disease **.Copies of newspaper reports referred to in paragraphs 2 to 5 above are annexed herewith collectively and marked as *Annexure A-3***

6. Despite repeated representations highlighting contamination of drinking water, the poor condition of pipelines and large-scale wastage of treated water, **no effective or time-bound action has been taken** by the authorities to remove, replace or realign pipelines passing through drains. Therefore, on 4/1/2026, the Times of India newspaper published a news on "DRINKING WATER IN M.P. UNSAFE: centre's survey In the view of the report submitted by Jal Jeevan Mission to the central government, that abut 47% of drinking water supplied to the homes in Jabalpur is non-potable that is impure, there fore detailed inquiry should be conducted, as to why is impurity is has taken place**. Copy of news paper article is files as Annexure A/4.**

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

7. Owing to the continued inaction of the authorities, residents and concerned citizens were compelled to **assemble and raise the issue through public gatherings and demonstrations**, demanding safe drinking water and removal of pipelines from drains.**Photographs of the said public gatherings are annexed herewith and marked as *Annexure A-5***

8. The facts placed on record establish that the issue is **not isolated or temporary**, but a continuing problem involving contamination of drinking water and daily wastage of treated water, affecting a large population of Jabalpur city.

9. The continued supply of contaminated water and failure to prevent wastage of drinking water directly affects **public health** and violates the **right of citizens to safe drinking water**.

10. The continued supply of contaminated drinking water amounts to violation of the **right to life and health under Article 21 of the Constitution of India**, which includes the right to clean and safe drinking water, warranting immediate intervention by this Hon'ble Tribunal.

8. GROUNDS

GROUND A

Illegal Contamination of Drinking Water

1. Because the material placed on record clearly shows that drinking water supplied in Jabalpur is getting contaminated due to broken, leaking and obsolete pipelines laid through open drains and sewage nalas, resulting in direct mixing of dirty drain water with potable water supplied to households.
2. Because such continuous mixing of sewage and drain water into drinking water amounts to pollution of water meant for human consumption and is impermissible under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act,

NOTARY SURENDRA KUMAR PANDEY JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

1974, and also violates the settled principle that water meant for public consumption must be protected from contamination.

GROUND B

Failure to Prevent Water Pollution Despite Knowledge

3. Because newspaper reports, photographs and representations placed on record show that the authorities were fully aware that pipelines are passing through drains, many of them being 40–50 years old, yet no effective action has been taken to remove, replace or relocate such pipelines.
4. Because allowing contaminated water to be supplied despite clear knowledge of leakage, corrosion and sewage ingress reflects failure on the part of the Municipal Corporation and other authorities to discharge their statutory duties, contrary to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in ***A.P. Pollution Control Board v. Prof. M.V. Nayudu* (1999) 2 SCC 718**, wherein it was held that where there is a threat to public health and water safety, authorities are bound to act on the **precautionary principle** and cannot wait for actual damage to occur.

GROUND C

Threat to Public Health

5. Because repeated incidents of muddy, foul-smelling and dirty water reaching households have been reported, forcing residents to consume unsafe water or depend on alternate sources, thereby exposing them to serious health risks and water-borne diseases.
6. Because supply of unsafe drinking water directly affects public health and sanitation and poses a grave risk to children, elderly persons and other vulnerable sections of society, which the State is duty-bound to protect.

GROUND D

Violation of Right to Safe Drinking Water

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 ..... Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

7. Because access to safe and clean drinking water is an essential part of the right to life under Article 21 of the Constitution of India, and continued supply of contaminated water violates this fundamental right of the residents of Jabalpur, as held by the Hon'ble Supreme Court in ***Subhash Kumar v. State of Bihar* (1991) 1 SCC 598**, wherein it was categorically recognized that the **right to life includes the right to enjoyment of pollution-free water**.

GROUND E

Non-Action Despite Written Representations

8. Because written representations dated 04.01.2026 and 20.01.2026 were submitted to the concerned authorities clearly pointing out contamination, old pipelines, absence of DPR and lack of funding requests, yet no concrete or time-bound remedial action has been initiated.
9. Because failure to act even after such representations shows administrative apathy and disregard for public health and environmental safety, rendering the authorities liable for continued environmental harm.

GROUND F

Public Protest Reflecting Seriousness of Issue

10. Because due to continued inaction, citizens were compelled to hold a public demonstration demanding removal of pipelines from drains and prevention of contaminated water supply, reflecting the gravity, urgency and public importance of the issue.

GROUND G

Continuing Environmental Wrong

11. Because the supply of contaminated drinking water is not a one-time incident but a continuing and recurring wrong, as leakage and sewage ingress occur on a daily basis due to defective pipelines.

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 ..... Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

12. Because each day of continued contamination constitutes a fresh cause of action and ongoing environmental harm, attracting the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

GROUND H

Need for Immediate Intervention by This Hon'ble Tribunal

13. Because despite media exposure, representations and public protest, no comprehensive or time-bound action plan has been implemented to remove pipelines from drains or replace obsolete infrastructure.
14. Because unless this Hon'ble Tribunal intervenes and issues appropriate directions, residents of Jabalpur will continue to suffer serious and irreversible harm to health and environment, contrary to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in ***M.C. Mehta v. Union of India* (1987) 4 SCC 463**, wherein it was held that the **right to live in a pollution-free environment is an integral part of Article 21 of the Constitution of India.**

9 — INTERIM PRAYERS

Pending final disposal of the present Original Application, the Applicant most respectfully prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

1. In the view of the report submitted by Jal Jeevan Mission to the central government, that abut 47% of drinking water supplied to the homes in Jabalpur is non-potable that is impure, there fore detailed inquiry should be conducted, as to why is impurity is has taken place.

2. **Constitute a Joint Committee** comprising officers of the State Pollution Control Board, Municipal Corporation, District Administration and Public Health Engineering Department to inspect and repair drinking water supply pipelines in Jabalpur, particularly area of dixitpura, milonojang, hanumantal, dhanwantri nagar, purwa colony ,amkhera, lalmati, shanti nagar, shiv nagar, ghamapur, adhartal, gohalpur, baldevbagh, Chhota fuhara, udiya muhalla , ambedakar ward, maharana Pratap ward , ward no 72, Shashti nagar, chandalghata, gwari ghat and ect . where pipelines pass through drains or sewage nalas and provide the clean drinking water to the resident of Jabalpur

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 09/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

3. **Direct immediate sampling and testing of drinking water** in affected areas through accredited laboratories and submission of the report before this Hon'ble Tribunal.

10. RELIEF(S) PRAYED FOR :-

In view of the foregoing facts and circumstances, the Applicant most respectfully prays for the following reliefs:

A. It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to direct the concerned Respondents to conduct a fair and impartial inspection/enquiry into the issue of broken, leaking and damaged drinking water pipelines passing through drains and sewage nalas in Jabalpur city.

B. It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to direct the Municipal Corporation, Jabalpur to immediately repair, remove and replace broken and leaking drinking water pipelines, particularly those passing through open drains and nalas, and to submit a compliance report before this Hon'ble Tribunal.

C. It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to direct the Respondents to ensure supply of 100% clean, safe and uncontaminated drinking water to the residents of Jabalpur city and affected wards.

D. It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to direct the Respondents to take appropriate action in accordance with law against the officials responsible for negligence, inaction and failure to prevent contamination and wastage of drinking water.

E. It is therefore prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to direct the Respondents to take necessary remedial and preventive measures to stop wastage of treated drinking water and prevent mixing of sewage or drain water with potable water supply.

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37517 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

F. Any other relief(s) as deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case may also kindly be granted in favour of the Applicant

---

11. — AFFIDAVIT- An affidavit in support of the present original application, duly sworn by the applicant No.1 , is filed herewith.

---

12. COURT FEES- Court fees in support of the present original application, duly sworn by the applicant, have been affixed as applicable under NGT rules 2011.

Place:-Jabalpur
Date: - 16 /02/2026

Counsel for the Applicants- Prabhat kumar Yadav
Office Address: New Market Dhanwanti Nagar, Jabalpur
(M.P.)-482003

--VERIFICATION OF APPLICANT no 1 ---

Dr. P.G Najpandey, the Applicant above named, do hereby verify that the contents of the present Original Application from Paragraph No. 1 till the end are **true and correct to my knowledge and belief**, and that nothing material has been concealed therefrom.

Verified at _____ on this 16 day of 2, 2026.

Applicant No. 1. -DR. P.G. Najpandey

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN No. 37017 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

DEPONENT NO.1

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

16 FEB 2026

--VERIFICATION OF APPLICANT ---

Rajat Bhargav, the Applicant no 2 above named, do hereby verify that the contents of the present Original Application from Paragraph No. 1 till the end are **true and correct to my knowledge and belief**, and that nothing material has been concealed therefrom.

Verified at _____ on this ___ day of 16 FEB 2026, 2026.

Applicant No. 2 Rajat Bhargav

16 FEB 2026

रजत भार्गव

DEPONENT NO.2 -

NOTARY
SURENDRA KUMAR KHARE
JABALPUR DISTRICT
REGN. No. 37917
DT. 06/02/2025
EX. 06/02/2030
GOVT. OF INDIA

16 FEB 2026

(19)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

APPLICANTS : **Dr. P.G Najpandey & Rajat Bhargav**

Versus

RESPONDENTS : **Union of India & others**

AFFIDAVIT

I DR.P.G. Najpandey aged about 88 years R/o- **House NO. 6/47, Ranmagar ,Adhartal , Maharshi , Mahesh Yogi ward , District Jabalpur (M.P) – 482001**

do hereby solemnly affirm and state on oath and state as under: -

1. That ,Applicant No.1 is well conversant with the facts of the case.

2. That, the Petiton has been drafted by my counsel under my instruction which has been read over and explained to me and I have understood the same.

3. That the contents of the reply from Para 1 to end are true and correct to my personal knowledge and belief.

DEPONENT

SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2022 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verified declare that the contents of Para 1 and 3 of the affidavit, are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this ..16.. day of ..FEB 2026.. at Jabalpur.

16 FEB 2026

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME

SURENDRA KUMAR KHARE NOTARY GOVT. OF INDIA JABALPUR DISTRICT M.P. INDIA

Applicant no 1 ..... Applicant no 2 ..... 16 FEB 2026

(20)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

APPLICANTS : **Dr. P.G Najpandey & Rajat Bhargav**

Versus

RESPONDENTS : **Union of India & others**

AFFIDAVIT OF APPLICANTS NO. 2

I, **Rajat Bhargav**, aged about **52 years**, S/o Late Shri **Sunil Bhargav**, R/o **House No. 35/C, Naya Gaon Rampur, District Jabalpur (M.P.)**, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am Applicant No. 2 in the accompanying Original Application.
2. That I have read and understood the contents of the application.
3. That the statements made therein are true to my knowledge.
4. That the annexures filed along with the application are true copies.
5. That the application is filed bona fide in public interest.

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37917 DT. 06/02/2025 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

16 FEB 2026

रजत भार्गव
DEPONENT

--VERIFICATION --

Verified at Jabalpur on this day of February , 2026 that the content of this affidavit are true and correct

16 FEB 2026

रजत भार्गव
DEPONENT

Sworn before me on the 20
Rajat Bhargav
Sunil Bhargav
Who is presented to me by Shri Prabhat Yadav
Identified by Shri
Witness signature is there appended

SURENDRA KUMAR KHARE
NOTARY GOVT. OF INDIA
JABALPUR DISTRICT
M.P. INDIA

IDENTIFIED BY ME

Applicant no 1 ..... Applicant no 2 रजत भार्गव

16 FEB 2026

(21)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO. / 2026 (CZ)

APPLICANTS : **Dr. P.G Najpandey & Rajat Bhargav**

Versus

RESPONDENTS : **Union of India & others**

List of Documents

S. No.	Particulars of Document	Annexure	Page No.
1.	Copy of Aadhaar Cards of Applicants	A/1	2
2.	Copies of written representations/complaints dated 04.01.2026 and 20.01.2026 submitted to Municipal Corporation and State Authorities regarding contaminated drinking water and pipelines passing through drains	A/2	3
3.	Copies of newspaper reports (2026) highlighting contamination of drinking water, pipelines passing through drains, leakage, wastage of water and public health risk in Jabalpur	A/3	10
4.	Copy of newspaper article dated 04.01 2026 regarding unsafe drinking water in Madhya Pradesh	A/4	1
5.	Photograph of public demonstration by citizens demanding removal of pipelines from drains and safe drinking water supply	A/5	1

Place:-Jabalpur
Date: - 16 /02/2026

Counsel for the Applicants- Prabhat kumar Yadav
Office Address: New Market Dhanwanti Nagar, Jabalpur
(M.P.)-482003

16 FEB 2026

NOTARY SURENDRA KUMAR KHARE JABALPUR DISTRICT REGN. No. 37017 DT. 06/02/2026 EX. 06/02/2030 GOVT. OF INDIA

Applicant no 1 .....Applicant no 2 .....

22

A-1

भारत सरकार

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No 1207/50003/10939

To,
प्रमोद गोविन्द नाजपांडे
Pramod Govind Najpande
S/O: Govind heelkanth Najpande
house no. 647 , ramnagar , adhartal mahansh- mahaah yogi ward, jabalpur
Jabalpur
Jabalpur Jabalpur Jabalpur
Madhya Pradesh 482001
9827272499

Ref. 1565 / 18A / [illegible]

SH791904634FT

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8439 6707 8652

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार

Government of India

प्रमोद गोविन्द नाजपांडे
Pramod Govind Najpande
जन्म तिथि / DOB : 25/03/1939
पुरुष / Male

8439 6707 8652

आधार - आम आदमी का अधिकार

23

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0636/20198/00112

To
रजत भार्गव
Rajat Bhargava
S/O: Sunil Bhargava,
35/C,
Naya Gaon Rampur,
Near Shakti Bhawan,
Rampur Jabalpur,
VTC: Rampur,
Sub District: For New VTC,
District: Jabalpur,
State: Madhya Pradesh,
PIN Code: 482008,
Mobile: 9669812013

Signature valid
Digitally signed by UIDAI Unique Identification Authority of India
CN:
Date: 2020.[illegible]3 17:47:53 IST

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

2020 2482 5991

VID : 9194 6252 4201 4673

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in. पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए ।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है ।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए ।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है ।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें ।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें ।
- आधार/बॉयोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बॉयोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Aadhaar no. issued: 15/12/2012

रजत भार्गव
Rajat Bhargava
जन्म तिथि/DOB: 13/01/1973
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं ।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए ।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

2020 2482 5991

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

Details as on: 03/02/2026

पता:
S/O: सुनील भार्गव, 35/सी, नया गांव रामपुर, शक्ति भवन के पास, रामपुर जबलपुर, रामपुर, रामपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482008

Address:
S/O: Sunil Bhargava, 35/C, Naya Gaon Rampur, Near Shakti Bhawan, Rampur Jabalpur, Rampur, DIST: Jabalpur,
Madhya Pradesh - 482008

2020 2482 5991

VID : 9194 6252 4201 4673

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

(24) (A/2)

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच

डॉ. पी.जी. नाजपांडे
अध्यक्ष (मो.नं. 9827272499)

कार्यालय
6/47, रामनगर, अधारताल
जबलपुर– 482004 (म.प्र.)

प्रति,

1. महापौर, नगर निगम, जबलपुर
2. आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर

नगर पालिक निगम 05/01/26 हस्ताक्षर

विषयः– जबलपुर में मात्र 50 प्रतिशत सुरक्षित है पीने का पानी। केन्द्रीय सर्वे की रिपोर्ट। नालियों से गुजर रही पाईप लाईनें, पिछले 20 वर्षों से हटाई नहीं गयीं।

---

1. केन्द्र शासन द्वारा दिसंबर 2025 में जारी की गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर में सप्लाई हो रहे पीने का पानी की रिपोर्ट चिन्ताजनक है। वह मात्र 54.3 प्रतिशत सुरक्षित पाया गया। स्पष्ट है कि जबलपुर में सप्लाई हो रहा पीने का पानी लगभग 50 प्रतिशत की मात्रा में दूषित है।

2. पिछले 20 वर्षों से नालियों से गुजर रही पीने के जल की पाईप लाइनें अभी तक हटाई नहीं गई हैं, जबकि इन्हीं पुरानी पाईप लाईनों में बारंबार लीकेज होने से पेयजल दूषित हो रहा है।

3. लगातार शिकायतों के बावजूद भी स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी हो रही है। 2 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने पुनः गाइड लाईन जारी की है, किन्तु सुस्त कार्य जारी है।

4. जनसंगठनों ने नगर निगम को स्पष्ट चेतावनी दी कि 7 दिनों के भीतर सर्वे पूर्ण कर नालियों से गुजर रही पाइप लाईनों को हटाने का ठोस कार्य शुरू नहीं किया गया तो नगर निगम के समक्ष तीव्र आन्दोलन किया जायेगा।

नगर पालिक निगम जबलपुर दिनांक 05/01/2026 प्राप्तकर्ता

दिनांकः 04/01/2026

डॉ. पी.जी. नाजपांडे
मो.नं. 9827272499

(23)

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच

6/47, राम नगर अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ.पी.जी. नाजपांडे
अध्यक्ष, (मो.नं.9827272499)

कार्यालय
6/47, रामनगर, अधारताल,
जबलपुर–482004

प्रति,

(1) **आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय,**
नगरीय प्रशासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

(2) **आदरणीय महापौर,**
जबलपुर नगर निगम

नगर पालिक निगम 16/01/26 हस्ताक्षर

विषय :– पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कैबिनेट बैठक में जबलपुर का उल्लेख तक नहीं। जबकि उज्जैन को 1133 करोड़ दिये। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट चिंताजनक।

(1) 13 जनवरी को भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जबलपुर का उल्लेख तक नहीं किया गया है। जबकि उज्जैन के लिए अतिरिक्त 1133 करोड़ मंजूर कर वहां की व्यवस्था युद्धस्तर पर कार्य कर ठीक करने के आदेश जारी किये गये है।

(2) 14 जनवरी को हाईकोर्ट में प्रस्तुत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि जबलपुर शहर के नाली–नालों का पानी **''अत्यंत दूषित''** है। जबलपुर में पीने के पानी सप्लाय की 80 प्रतिशत पाईप लाईनें ऐसे नाली–नालों से गुजरती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाईन की उम्र औसतन 20 वर्ष की होती है, लेकिन पिछले 50 वर्षो से यह पाईप लाईनें बदली नहीं गई है।

(3) अमृत जल प्रदाय योजना 2.0 में 476.22 कि.मी. जल वितरण पाईप लाईन बिछाने को तय किया गया है, लेकिन राइजिंग पाईप लाईन बिछाने को प्राथमिकता दी गई है।

(4) बीते 10 साल में करीब 150 करोड़ का खर्च पाईप लाईन विस्तारीकरण पर किया गया, लेकिन नाली–नालों से गुजरती हुई पाईप लाईन न तो हटाई गई न ही बदली गई।

(5) स्पष्ट है कि जबलपुर में पीने के पानी की व्यवस्था यह एक गंभीर समस्या है।

दिनांक : 15/01/2026

डॉ. पी.जी. नाजपांडे
मो.नं. : 9827272499

(26)

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच

6/47, राम नगर अधारताल, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ.पी.जी. नाजपांडे
अध्यक्ष, (मो.नं.9827272499)

कार्यालय
6/47, रामनगर, अधारताल,
जबलपुर–482004

प्रति,

(1) **आदरणीय महापौर,**
नगर निगम, जबलपुर

(2) **आदरणीय आयुक्त,**
नगर निगम, जबलपुर

नगर पालिक निगम
दिनांक 20/01/26 हस्ताक्षर

विषय

(1) **पीने के पानी सप्लाय की नाली–नालों से गुजर रही पाईप लाईनों को हटाने तथा बदलने हेतु डीपीआर बनाये।**

(2) **घरों से निकलने वाले सीवेज को सीधे नालों से जान से रोकने हेतु बनाया गया डी.पी.आर. पर तत्काल कार्य शुरू करें।**

(3) **डी.पी.आर. के तहत् आंकी गई लागत की राशि को शासन से मांगने हेतु ''मांग पत्र'' भेजा जाये।**

(4) **यह कार्य विधानसभा सत्र शुरू होने के पूर्व में किया जाये।**

नगर पालिक निगम जबलपुर
दिनांक 20/01/2026 प्राप्तकर्ता

चिंता का विषय है कि पेयजल सप्लाई की 80 प्रतिशत लाईने नाली–नालों से गुजरने के बावजूद उन्हें हटाने या बदलने हेतु न तो ऐसी लाईनों को अभी तक चिन्हित किया गया, न ही इस पूरे कार्य हेतु डीपीआर. बनाया गया है।

इस कार्य की विशालता यह है कि बहुतांश ऐसी लाईनें अपनी निर्धारित 20 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है। अतः तकनीकी दृष्टि से उन्हें बदला जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर तथा उज्जैन को अमृत जल योजना के अतिरिक्त खर्च की राशियां प्रदान की है। जबलपुर ऐसी मांग करने में पिछड़ गया है।

अतः डीपीआर के आधार पर लगात की राशि का मांग पत्र शासन को विधानसभा सत्र शुरू होने के पूर्व में ही भेजा जाये।

दिनांक : 20/01/2026

डॉ. पी.जी. नाजपांडे
मो.नं. : 9827272499

(27) (A/3)

दै. भास्कर 2/1/2026

जानलेवा लीकेजः इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी नहीं दिख रही गंभीरता, लोगों ने कहा- बस्ती-कॉलोनियों में नहीं पहुंच रही टीम

पानी का सैम्पल तो ले रहे पर नालियों से गुजरी पाइप लाइनों की नहीं हो रही जांच

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद नगर निगम ने पानी के सैम्पल लेना तो शुरू किया है, लेकिन नालियों से गुजर रही पाइप लाइनों की जांच नहीं की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि नगर निगम की टीम बस्ती और कॉलोनियों के बीच नहीं पहुंच रही है। यहां नालियों से गुजर रही पाइप लाइनों की जांच की जाए, तभी लीकेज पकड़ में आएंगे। जिस जगह पर पाइप लाइन नालियों से जा रही है, वहां पर लीकेज की जांच नहीं की जा रही है। शहर में लेमागार्डन, गोहलपुर, अम्बेडकर कॉलोनी, शांति नगर, चंडालभाटा गोदाम एरिया, त्रिमूर्ति नगर, नरघैया, सराफा, लार्डगंज, गंजीपुरा और बल्देवबाग में नालियों से पाइप लाइन जा रही है। यहां पर लीकेज पाइप लाइनों के जरिए दूषित पानी लोगों के घर पर पहुंच रहा है। नगर निगम ने यहां पर पाइप लाइन लीकेज की जांच नहीं की है। वहीं शहर में अभी भी कई क्षेत्रों में दूषित पानी की शिकायत बनी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक पाइप लाइनों को नालियों से बाहर करने की योजना भी तैयार नहीं की गई है।

नालों से इस तरह निकली है पेयजल पाइप लाइन।

बड़ी पाइप लाइनों से अवैध कनेक्शन ▪ शहर में मदार टेकरी, पसियाना, सिद्धबाबा, लालमाटी, कठौंदा, करमेता, चंडालभाटा गोदाम एरिया, शांति नगर झुग्गी बस्ती और गौरीघाट क्षेत्र से बड़ी पाइप लाइन में छेद कर अवैध कनेक्शन लिए गए हैं। इससे नालियों का गंदा पानी पाइप लाइनों के जरिए लोगों के घर पर पहुंच रहा है।

पाइप लाइन में फंसा मिला था मृत बंदर ▪ 15 मार्च 2025 को भोंगाद्वार जल शोधन संयंत्र से निकलने वाली पाइप लाइन में गोराबाजार के पास एक मृत बंदर फंसा हुआ मिला था। जब पानी से दुर्गंध आने लगी तो नगर निगम ने पाइप लाइन काटकर मृत बंदर को बाहर निकाला।

एकत्रित किए जा रहे पानी के सैम्पल ▪ निगम सभी 16 संभागों से पानी के सैम्पलों को एकत्र किया जा रहा है। पाइप लाइन के लीकेज में सुधार हो रहा है। जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम सैम्पल एकत्र करने के काम में जुटी हुई है। नगर निगम के जल प्रभारी कमलेश श्रीवास्तव का कहना है कि अभी तक किसी भी जगह में दूषित पानी का सैम्पल नहीं मिला है।

(28)

मुख्यमंत्री ने ली बैठक, प्रदेश में साफ पानी के लिए एसओपी जारी

3 पत्रिका 3/1/2026

7 दिन में सर्वे, 24 से 48 घंटे में लीकेज ठीक

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. इंदौर में घटनाक्रम के बाद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया कराने सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव समेत अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। प्रत्येक बिंदु पर बात की। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पेयजल आपूर्ति को लेकर गाइडलाइन जारी की। तय किया है कि पानी और सीवर के लिए बिछी लाइनों का सर्वे 7 दिन के भीतर कर 20 साल से ज्यादा पुरानी लाइनों की पहचान करनी होगी। लीकेज मिला तो 24 से 48 घंटे के भीतर ठीक करना पड़ेगा। टंकियों की सफाई के लिए भी 7 दिन तय किए गए हैं। सरकार ने कलेक्टरों से कहा है कि जिलों में जलापूर्ति की लाइनों का ठीक से रखरखाव हो, नदी-नालों से क्रॉस होने वाली लाइनों की जांच कराएं।

- नगरीय निकायों में जल शोधन संयंत्रों पर स्थित लैब, मोबाइल लैब, एनएबीएल अधिकृत लैब, पीएचई की लैब से एकत्र सैंपल की जांच आइएस मानक अनुसार तय अंतराल में करें।
- निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मैदानी स्तर के अफसरों के फोन नंबर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं, ताकि आम जन संकट के समय सीधे बात कर सकें।

अब आकस्मिक श्रेणी में रहेंगी शिकायतें

- जल शोधन संयंत्रों, प्रमुख जलस्रोतों, बड़ी टंकियों के पानी की जांच करानी होगी।
- जहां भी ई-कोलाई या कॉलीफार्म या पानी प्रदूषित पाया जाता है तो उस पर रोक लगानी होगी।
- क्लोरीनेशन की 24 घंटे निगरानी होगी। हर स्तर पर रेंडमली गुणवत्ता जांची जाएगी।
- संभाग स्तर पर दी गई मोबाइल लैब में जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए किट रहे। जीवाणु जांच हो।
- पानी सप्लाई को लेकर वार्ड व क्षेत्रवार जलप्रदाय शाखा के प्रभारी अभियंता की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करें।
- हर वार्ड, क्षेत्र में रोजाना की रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भेजी जाए।
- जल आपूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को आकास्मिक श्रेणी में रखा जाए।
- लीकेज/दूषित जल शिकायतों को 24 से 48 घंटों में हल कराएं।
- सीएम हेल्पलाइन में गंदा/दूषित पानी व सीवेज से संबंधित शिकायतों के निराकरण को पहली प्राथमिकता में रखें।
- पानी सप्लाई व सीवर नेटवर्क की जीआइएस आधारित मैपिंग करें।

जबलपुर फ्रंट पेज

दैनिक भास्कर

bhaskarhindi.com

जबलपुर, शनिवार, 3 जनवरी 2026 | 2

कई क्षेत्रों में नालियों से घरों तक जा रहीं पानी की पाइप लाइनें, कभी भी बन सकते हैं गंभीर हालात

रियलिटी : चंडालभाटा, चेरीताल, कछियाना और शांतिनगर ईडब्ल्यूएस बस्ती के समीप सहित कई जगह दिखी समस्या

भास्कर संवाददाता | जबलपुर

प्रदूषित पानी से इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना से शहरवासी स्तब्ध हैं। दूषित पानी की सप्लाई हर जगह चर्चा और विचार का मुद्दा बनी हुई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि यहां भी कई क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइन नालियों से होकर घरों की तरफ जा रही है, जो लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। इन पाइप लाइनों की नल के कनेक्शन लोगों के घरों और बस्तियों तक पहुंच रहे हैं। लीकेज पाइप लाइनों के जरिए दूषित पेयजल लोगों तक पहुंच रहा है। इसके बाद भी निगर निगम द्वारा लंबे समय से इनकी जांच नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि जल्द ही पाइप लाइनों की जांच व उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि चंडाल भाटा, चेरीताल और कछियाना जैसे सघन इलाकों में बिछी लोहे की पाइप लाइनें नाले-नालियों से होकर जा रही हैं। नागरिकों का कहना है कि ये कई साल पुरानी हैं। इनमें कई जगह लीकेज की समस्या है। इसके बाद भी नगर निगम पाइप लाइनों को बदलने या फिर इन्हें नाले-नालियों से बाहर निकालने की कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों को दूषित पानी पीने मजबूर होना पड़ रहा है। इस पानी के उपयोग से कभी भी बीमारी फैल सकती है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद लोग और भी ज्यादा चिंतित हैं।

कई जगह जर्जर हो चुकी हैं पुरानी पाइप लाइनें, लीकेज भी

चंडाल भाटा में नगर निगम के क्वार्टरों में वर्षों से पानी की पाइप लाइनें बदली नहीं गई हैं। इन क्वार्टरों में रहने वाले परिवारों ने बताया कि पानी की ये लाइनें नालियों के भीतर से गुजर रही हैं। सार्वजनिक नलों में गंदा पानी आने की समस्या कई सालों से है। शिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं होता। इसी तरह यह भी देखने मिला कि शांति नगर के पीछे ईडब्ल्यूएस बस्ती के समीप और मोतीनाला से लगे क्षेत्र के अलावा त्रिमूर्ति नगर और उसके आसपास के इलाके में खुली पाइप लाइनों से लोग पानी भर रहे हैं। इस पानी के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।

नालियों के बीच से गुजरती पाइप लाइन

चेरीताल-कछियाना में भी यही समस्या

चेरीताल पारिजात बिल्डिंग के समीप और कछियाना की गलियों में पानी की पाइप लाइनें नाले-नालियों से होकर जा रही हैं। इनसे कई घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। लोगों ने बताया कि यहां नगर निगम ने इनकी जांच नहीं की है, जिसके कारण नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। नागरिकों का कहना है कि बारिश के मौसम में गंदा पानी आने की समस्या बहुत बढ़ जाती है।पी-2

Applicant – Kamlesh

30

नई दुनिया 31/1/2026

20 वर्ष पुरानी पेयजल लाइन की सात दिन में हो पहचान, लीकेज 48 घंटे में सुधारें

- राज्य सरकार ने जलापूर्ति प्रणाली की मानक प्रक्रिया जारी की
- जल प्रदाय एवं सीवर नेटवर्क की जीआइएस आधारित होगी मैपिंग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल : इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण हुई मौतों की घटना के 11 दिन बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रणाली को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शुक्रवार देर रात जारी की गई एसओपी में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रणाली की अनुरक्षण व्यवस्था, पाइपलाइन रिसाव पहचान, पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ीकरण के मानक प्रक्रिया तय कर दी है। अब शहर में जल वितरण प्रणाली का सात दिन में सर्वे करना होगा। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बिछी हुई 20 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइन का चिन्हांकन कर रिसाव को 48 घंटे के भीतर सुधारना होगा। यह एसओपी केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियंत्रण संगठन से जारी मैन्यूअल आन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट तथा विश्व में अपनाई जा रही श्रेष्ठतम प्रथाओं को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी की गई है।

जलापूर्ति प्रणाली के लिए यह मानक किए तय

- जल शोधन संयंत्र तथा उच्च स्तरीय टंकियां, संप टेंक्स की साफ-सफाई का सात दिवस में निरीक्षण करें।
- सीमा से अधिक प्रदूषण मिला तो तत्काल जलापूर्ति रोककर वैकल्पिक सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- क्लोरिनेशन सिस्टम की 24 घंटे सातों दिन निगरानी करें।
- नगरीय क्षेत्र में जल के अन्य स्रोतों (कुएं, बावड़ी, तालाब तथा नलकूपों) में ब्लीचिंग पाउडर डालें।
- संभाग स्तर पर मोबाइल लैब में जल गुणवत्ता के साथ जीवाणु परीक्षण भी करें।
- सभी नगरीय निकायों में पाइपलाइन लीकेज डिटेक्शन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं।
- निकाय के सीएमओ सहित जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के दूरभाष/मोबाइल नंबर विभाग/निकाय की वेबसाइट और कार्यालयों के सूचना पटल एवं प्रदर्शित हो।
- जल प्रदाय सुनिश्चित करने जलप्रदाय शाखा के प्रभारी अभियंता की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय हो।
- स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ, बीएमओ से जल जनित रोगों के संबंध में नियमित समन्वय रखें।
- पीएचई की स्थानीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं से जल नमूनों का नियमित अंतराल पर परीक्षण कराए।
- जल आपूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को इमरजेंसी केटेगरी में रखें।
- सीएम हेल्पलाइन में गंदा/दूषित पेयजल तथा सीवेज से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जबलपुर फ्रंट पेज

दैनिक भास्कर

bhaskarhindi.com

जबलपुर, सोमवार, 5 जनवरी 2026

सेहत से खिलवाड़ः घमापुर में नाले से गुजर रही पाइप लाइन, लीकेज के जरिए गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा

शिकायत के बाद भी नहीं हो पा रहा लीकेज सुधार

इंदौर की घटना के बाद दहशत का माहौल

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत के बाद भी जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों ने सबक नहीं लिया। इसकी बानगी घमापुर स्थित गोपाल मंदिर के सामने देखी जा सकती है। यहां पर नाले से 12 इंच की पाइप लाइन गुजर रही है। इस पाइप लाइन में दो जगह लीकेज हैं। जिससे नाले का दूषित पानी पाइप लाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच रहा है।

दैनिक भास्कर की पड़ताल में पाया गया कि घमापुर स्थित गोपाल मंदिर के सामने नाले से होकर 12 इंच की पाइप लाइन जा रही है। यहां पर पाइप लाइन में दो जगह लीकेज हैं। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि लीकेज से नाले का दूषित पानी पाइप लाइन में मिल रहा है। इस पाइप लाइन से घमापुर, भानतलैया, दंगल मैदान, बाई का बगीचा और बेलबाग क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। लीकेज सुधार के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुधार कार्य नहीं किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इंदौर की घटना के बाद भी यहां पर किसी का ध्यान नहीं है।

बाई का बगीचा कृष्ण मंदिर के सामने नाले से निकली पाइप लाइन

ननि को दिया नोटिस, 7 दिन में नालियों से हटाएं पाइप लाइन ▪ जनसंगठनों ने नगर निगम को नोटिस दिया है कि यदि 7 दिन में सर्वे कर नालियों से पाइप लाइन हटाने का काम शुरू नहीं किया जाता है, तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, सुभाष चंद्रा, टीके रायघटक, डीके सिंह, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, सुशीला कनौजिया, डीआर लखेरा, गीता पांडे, केसी सोनी, संतोष श्रीवास्तव मौजूद थे।

गोविंद वल्लभ पंत वार्ड में लगभग 15 मिनट आता है मटमैला पानी

गोविंद वल्लभ पंत वार्ड में नल चालू होते ही 15 मिनट तक मटमैला पानी आता है, जिसे बर्तन में भी नहीं भरा जा सकता है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यहां पर 40 से 45 साल पुरानी पाइप लाइनें हैं, जो नालियों से होकर गुजरती हैं। जगह-जगह लीकेज होने के कारण इनमें दूषित और गंदा पानी भर जाता है। नगर निगम जल विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पाइप लाइनों को बदला नहीं जा रहा है।

लीकेज सुधार का काम जारी, आज सुबह भी नहीं मिलेगा पानी ▪ कोतवाली स्थित पानी की टंकी के बैंड में लीकेज सुधार का काम रविवार को भी जारी रहा। इसके कारण रविवार को सुबह और शाम पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। सुधार कार्य के चलते सोमवार सुबह भी कोतवाली क्षेत्र में पानी नहीं मिल पाएगा। वहीं कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले लोग रविवार को पानी के लिए परेशान होते रहे।

शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से पानी के सैम्पल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाइप लाइनों में लीकेज के सुधार का काम भी कराया जा रहा है।

-कमलेश श्रीवास्तव, जल प्रभारी, नगर निगम

जबलपुर में मात्र 54.3 प्रतिशत सुरक्षित है पीने का पानी, केन्द्रीय सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा

केन्द्र सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में जारी की गई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर में सप्लाई हो रहा पीने का पानी 54.3 प्रतिशत ही सुरक्षित माना गया है। इससे स्पष्ट है कि जबलपुर में सप्लाई हो रहा 45.7 प्रतिशत पानी दूषित है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने कहा है कि पिछले 20 वर्ष से नालियों से गुजर रही पाइप लाइनों को हटाया नहीं गया है। लीकेज होने के कारण इनसे दूषित पानी मिल रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी स्वच्छ पेयजल सप्लाई करने के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। 2 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने पुनः गाइड लाइन जारी की है, लेकिन सुस्त गति से काम चल रहा है।

32

दैनिक भास्कर 15/1/2026

प्रदूषण मंडल की जांच रिपोर्ट में खुलासा, सीवेज का पानी नालों में जाने से तत्काल रोकें

शहर के नालों का पानी 'अत्यंत दूषित' सिंचाई और निस्तार के लिए अनुपयोगी

संवाददाता | जबलपुर

नाले के गंदे व विषैले पानी से सब्जी उगाने के मामले में हाई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नालों के पानी की जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहर के लगभग सभी नालों के पानी में भारी मात्रा में सीवेज मिलता है, जिस कारण वह 'अत्यंत दूषित' है। यह पानी पीने, निस्तार और सिंचाई के लिए पूर्णतः अनुपयोगी है।

रिपोर्ट में कहा गया कि यदि नालों का यह पानी वॉटर पाइप लाइन में मिल गया तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए सरकार को कहा कि घरों से निकलने वाले सीवेज को सीधे नालों में जाने से तत्काल रोकें और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं। घरों से निकलने वाले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ें। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सरकार को कहा कि प्रदूषण बोर्ड के सुझावों पर तत्काल अमल करके रिपोर्ट पेश करें। मामले पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को नियत की गई है।

नालों में मिल रहा 98.86 मिलियन लीटर सीवेज

जबलपुर शहर में प्रतिदिन लगभग 174 मिलियन लीटर (एमएलडी) सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में, केवल 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं और इन 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में केवल 75.14 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल/सीवेज का उपचार किया जा रहा है। ये 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आंशिक रूप से ही कार्यरत हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 98.86 मिलियन लीटर अनुपचारित दूषित जल/सीवेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नालियों में पहुंच रहा है। बोर्ड की ओर से कहा गया कि नालों के पानी में किसी भी सूरत में सीवेज का पानी नहीं आना चाहिए। केवल ट्रीटेड पानी या बारिश का पानी ही आना चाहिए।

फेकल कोलिफॉर्म मिला- प्रदूषण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर कृषि अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त टीम ने 23 नवंबर 2025 को ओमती नाला, मोती नाला, खूनी नाला, उदरना नाला सहित अन्य नालों से पानी का सैंपल लेकर जांच की थी। जांच के बाद इनके पानी में बीओडी, टोटल कोलिफॉर्म या फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा निर्धारित मानक सीमा से अधिक है। यह पीने, नहाने या खेती सहित किसी भी अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। पी-4

क्यों नहीं दिया मुआवजा - एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नगर निगम पर 17.80 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था। दरअसल, निगम पर एक जुलाई 2020 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए घरों से सीधे नदियों/नालियों में अनुपचारित प्रदूषित जल मिलाने के लिए उक्त मुआवजा देने कहा गया था। बोर्ड की ओर से कहा गया कि निगम ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। मुआवजे की वसूली का दायित्व और जिम्मेदारी जबलपुर के जिला कलेक्टर पर है। कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है।

नलों से संक्रमित गंदे पानी की आपूर्ति रोकने के लिए क्या कर रहा निगम

जनहित याचिका पर नोटिस जारी, अगली सुनवाई 2 फरवरी को

मप्र हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर शहरवासियों के घरों तक नलों से संक्रमित गंदे पानी की आपूर्ति को कठघरे में रखा गया है। मामले पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने नगर निगम जबलपुर के आयुक्त, कलेक्टर, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तुलसी नगर, जबलपुर निवासी अधिवक्ता ओपी यादव की ओर से अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता 2019 से अपने इलाके में नल से गंदे पानी की आपूर्ति पर सवाल खड़े करता आ रहा है। इसके बावजूद शिकायत का अब तक समाधान नदारद है। इस वजह से चेरीताल और जयप्रकाश नगर के वाशिंदे हलाकान हैं। आलम यह है कि कभी तो समुचित पेयजल आपूर्ति ही नहीं होती और जब होती भी है तो साफ-सुथरे पानी के स्थान पर मटमैला यानी नालों से रिसकर संक्रमित हुआ पानी नलों की टोंटी से बाहर निकलता है। जिसे छानकर या उबालकर पीने की मजबूरी है। वहीं घरों में बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ती रहती है। जगह-जगह पानी की लाइनें नालियों और नालों से गुजरी हैं, जिनमें लीकेज है, जिसे ठीक नहीं किया जाता।

गठित हो उच्च स्तरीय कमेटी

जबलपुर में 79 वार्ड हैं परंतु इनमें कहीं कोई स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को शिकायत की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी जबलपुर में नगर निगम द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई पोर्टल नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, जिसमें जनता के द्वारा सूचना प्रदान करने पर गंदे पानी की सप्लाई की समस्या को 24 घंटे के अंदर निर्मूल किया जा सके। मांग की गई कि एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए।पी-2

33

प्रॉडक्ट से लेकर भारी उद्योग मशीन

भास्कर 16/11/2026

18

हर शहर को सार्वजनिक करनी होगी पानी की गुणवत्ता की जानकारी

जहरीले पानी पर NGT ने कहा- इंदौर जैसे हाल हर शहर में... वॉटर एप बनाएं

भास्कर न्यूज | भोपाल

मप्र हाई कोर्ट के बाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी मप्र में पेयजल व्यवस्था पर पूरे सिस्टम के स्तर पर सवाल खड़े किए हैं। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने राज्य सरकार और सभी नगर निगमों को फटकार लगाते हुए कहा कि दूषित पेयजल पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और संविधान के अनुच्छेद-21 का सीधा उल्लंघन है। इंदौर समेत पूरे प्रदेश में गंदे पानी से फैली बीमारियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने कहा कि यह अकेले इंदौर की समस्या नहीं है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सतना और खरगोन जैसे शहरों में भी यही हाल हैं। एनजीटी ने कहा कि अब हर शहर में पानी की गुणवत्ता की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। शिकायत के लिए 24X7 वॉटर एप बनाना होगा। पाइपलाइन से लेकर टंकियों तक जिम्मेदारी तय करनी होगी। शेष|पेज 10 पर

इंदौर में दूषित पानी से मौत पर 15 लाख मुआवजे की मांग • एनजीटी से हरदा हादसे की तरह भागीरथपुरा में गंदे पानी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 15 लाख, बीमार को 5 लाख रु. मुआवजा देने की मांग की गई है।

ट्रिब्यूनल ने केंद्र के आंकड़ों से बताई गंभीरता

2 लाख लोग देश में हर साल दूषित पानी से मर जाते हैं।

2030 तक पानी की मांग दोगुनी होगी। जीडीपी को 6% का नुकसान।

20.98 करोड़ बीमारियां पानी से 2005 से 2022 तक।

17 साल में पानी से होने वाली बीमारियों में

86% केस डायरिया के मिले

▪ क्या करना होगा...

मूर्ति विसर्जन पर रोक

- तालाब, कुएं, बावड़ी के पास से अतिक्रमण हटाएं।
- हर घर पानी का मीटर लगाएं। पानी की नियमित क्लोरीनेशन करना जरूरी।
- मूर्ति विसर्जन पर रोक।

भोपाल के तालाबों को लेकर भी लिया संज्ञान

- भोपाल के तालाबों पर एनजीटी ने संज्ञान लिया। छोटा तालाब, शाहपुरा आदि में फीकल कोलीफॉर्म मिला। यहां से 5 लाख लोगों को पानी सप्लाई होती है।

इंदौर • दूषित पानी मामले में सुनवाई

हाई कोर्ट- कितनी मौतें हुईं? AAG बोले- 21, फिर कहा 15

भास्कर न्यूज. इंदौर| भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों का आंकड़ा खुद सरकार के गले की फांस बन गया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूछा कि कितनी मौतें हुई हैं? इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पहले 21 कहा, फिर पलटकर 15 बता दिया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि सभी मौतें दूषित पानी से नहीं हुईं, कुछ पहले से बीमार थे, फिर भी सरकार ने 'मानवीयता' दिखाते हुए सभी को 2-2 लाख रुपए दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया है। सभी का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। भागीरथपुरा में अभी भी टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है और पाइप लाइन बदली जा रही है। जितने भी लीकेज थे, उन्हें तलाश कर बंद कर दिया गया है।

▪ मुख्य सचिव के जवाब पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति लेते हुए कहा कि सरकार पालन-प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश कर चुकी है, लेकिन प्रति नहीं दी गई। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को प्रति देने कहा।

(34)

रियलिटी: उड़िया मोहल्ला, भरतीपुर समेत कई क्षेत्रों में समस्या, जानलेवा साबित हो सकती हैं अस्त-व्यस्त वितरण लाइनें

कहीं नालियों से जा रही तो कहीं सड़ी-गली है पाइप लाइन, मिल रहा पीने का गंदा पानी

कार्यालय संवाददाता जबलपुर

शहर में पेयजल वितरण प्रणाली किस हद तक बदहाल हो चुकी है, इसे उड़िया मोहल्ला और भरतीपुर क्षेत्र में देखा जा सकता है। उड़िया मोहल्ले में कई जगह नालियों से गुजरी पाइप लाइनों से सीधे असुरक्षित कनेक्शन लिए गए हैं। कुछ स्थानों पर तो पूरी पाइप लाइन ही सड़-गल गई है। उसमें गंदगी समाती हुई साफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ भरतीपुर में भी यही हालात नजर आए। प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि नालियों की गुजरी और वर्षों पुरानी यही वितरण लाइनें गंदे पानी की सप्लाई की मुख्य वजह है। इसके लिए मात्र नगर निगम नहीं बल्कि वे नागरिक भी दोषी हैं, जो बड़ी घटनाओं के बावजूद नहीं चेत रहे हैं। इस तरह की लाइनों की अभियान के तहत खोज-खोजकर बदलवाया जाना चाहिए। शुक्रवार को भास्कर टीम ने उड़िया मोहल्ले का भ्रमण किया। पड़ताल में ये बात सामने आई कि उड़िया मोहल्ले में 40 साल पहले पेयजल लाइन डाली गई थी। नाली से गुजर रही पाइप लाइन सड़-गल चुकी है। इसी पाइप लाइन से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। नागरिक लंबे समय से दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पाइप लाइन नहीं बदली जा रही। वहीं दूसरी तरफ भरतीपुर क्षेत्र में भी नालियों से पाइप लाइन गुजर रही है। इसके कारण लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि जल्द ही पाइप लाइनों को बदला जाना चाहिए।

उड़िया मोहल्ले में नालियों के बीच से गुजर रही सड़ी-गली पाइप लाइन।

दूषित पानी सप्लाई के विरोध में धरना

कांग्रेस पार्षदों ने निगम मुख्यालय के सामने धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहा कि शहर में जगह-जगह से नालियों के बीच से पेयजल लाइन गुजर रही है। नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों पर लगाए गए एसटीपी बंद हैं। इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष समेत शगुफ्ता उसमानी गुड्डू नबी, अयोध्या तिवारी, मुकीमा याकूब अंसारी, संतोष दुबे पंडी, कलीम खान, अनुपम जैन, सत्येन्द्र चौबे, गार्गी रामकुमार यादव और लक्ष्मी लक्ष्मण गोंटिया मौजूद रहे। कांग्रेस नेता रामदास यादव, नेम सिंह ठाकुर, श्याम सुन्दर कोरी ने रांझी में गंदे पानी सप्लाई को लेकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा।

अवैध कनेक्शन के लिए छेद डाली मुख्य पाइप लाइन- प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि उड़िया मोहल्ला और भरतीपुर में अवैध कनेक्शनों की भरमार है। यहां पर अवैध कनेक्शन के लिए बड़ी पाइप लाइन में जगह-जगह छेद कर दिए गए हैं। कई जगह पर तो बड़ी पाइप लाइन के ऊपर ही नल लगा दिए गए हैं। बड़ी लाइनों में छेद होने से नालियों का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

आज से अनिश्चितकालीन धरना देगी कांग्रेस

कांग्रेस कमेटी द्वारा दूषित पानी की सप्लाई के विरोध में नगर निगम मुख्यालय के सामने 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी जबलपुर में लगातार दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। 17 जनवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे उपवास किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में जबलपुर का उल्लेख तक नहीं

भोपाल में 13 जनवरी को आयोजित कैबिनेट बैठक में पेयजल व्यवस्था के लिए जबलपुर का उल्लेख तक नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन के लिए अतिरिक्त 1133 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। डॉ. पीजी नाजपांडे ने कहा है कि 14 जनवरी को हाईकोर्ट में प्रस्तुत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि जबलपुर शहर के नाले और नालियों का पानी अत्यंत दूषित है। शहर में 80 प्रतिशत पेयजल पाइप लाइनें नाले और नालियों से गुजरती हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 करोड़ रुपए खर्च कर पाइप लाइनों का विस्तारीकरण किया गया है, लेकिन नाले और नालियों की पाइप लाइनों को बाहर नहीं किया गया। जन संगठनों ने पेयजल व्यवस्था के संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को पत्र लिखा है। इस मौके पर डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, टीके रायघटक, डीके सिंह, संतोष श्रीवास्तव, सुशीला कनौजिया, सुभाष चंद्रा एवं डीआर लखेरा मौजूद थे। पी-2

35

भोंगाद्वार वाटर टैंक भी असुरक्षित, कागजों में सीमित निगम की व्यवस्था

जहां से गंदगी बहती है, वहीं से घरों में आ रहा पानी

सड़ी पाइपलाइन, दूषित पानी, **खतरे** - नागरिक, 40-50 साल पुरानी - री पाइप लाइन से सप्लाइ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पत्रिका स्पॉट लाइट

जबलपुर. शहर की पेयजल व्यवस्था **गंभीर बदइंतजामी की शिकार होती जा रही है।** जिन पाइपलाइनों **से** लोगों **के** घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचनाचाहिए, वही लाइनें गंदे नालों और नालियों के भीतर से होकर गुजर रही हैं। वर्षों **से** न तो इन पाइपलाइनों की समुचित जांच की गई और **न ही** इन्हें बदलने की कोई ठोस योजना बनी। जानकारी के अनुसार स्नेहनगर, रांझी, दमोहनाका, गढ़ाफाटक सहित कई इलाकों में नालों के भीतर से गुजरती जलापूर्ति लाइनें लोगों की सेहत के लिए खतरा बन चुकी हैं। यहां घर-घर में लोग पेट और त्वचा की बीमारी से परेशान हैं।

जंग लगी पुरानी पाइप लाइन

आम्बेडकर वार्ड में नाली से गुजरी लाइन।

शहर में आज भी 40 से 50 साल पुरानी लोहे की पाइपलाइनों के सहारे जलापूर्ति की जा रही है। ये लाइनें जमीन के भीतर सड़ चुकी हैं, जगह-जगह जंग और लीकेज **की** शिकायतें सामने आ रही हैं। **विशेषज्ञों के अनुसार इतनी पुरानी पाइपलाइनों को वर्षों पहले बदला जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण इन्हें जैसे-तैसे चलाया जा रहा है।**

भोंगाद्वार वाटर टैंक पर बिछाया गया त्रिपाल।

सिर्फ 50 प्रतिशत पानी ही सुरक्षित

केंद्रीय शासन की एक सर्वे रिपोर्ट **के** अनुसार **जबलपुर में** केवल करीब **50** प्रतिशत पेयजल ही सुरक्षित है। रिपोर्ट **में स्पष्ट किया गया है कि** शहर की कई पाइपलाइनें पिछले 20 वर्षों **से बदली नहीं गई हैं और** नालियों से होकर गुजरने के कारण उनमें **लीकेज से गंदा पानी मिल रहा** है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच **ने चेतावनी दी है कि यदि सात** दिनों **में** नालियों से गुजर रही पाइपलाइनों **को हटाने का काम शुरू नहीं** हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।

जहां भी ऐसी पाईपलाइन हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। धीरे धीरे कर उन्हें बदला जाएगा। भोंगाद्वार टैंक के छत खराब होने के कारण इसे ढककर रखा गया है। नया टैंक पर भी भविष्य में विचार किया जा रहा है।

कमलेश श्रीवास्तव
कार्यपालन यंत्री ननि

खुला पड़ा वॉटर टैंक सुरक्षा पर सवाल

भोंगाद्वार जल टैंक की स्थिति **भी** चिंताजनक है। मरम्मत **और** रखरखाव के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। टैंक को अस्थायी रूप से तिरपाल से ढककर रखा गया **है।** इस टैंक से 27 एमएलडी पानी की आपूर्ति जुड़े 14 वार्डों में होती है, लेकिन पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

विजय नगर, धनवंतरी नगर, संजीवनी नगर, दमोहनाका, माढ़ोताल, शिवनगर, उखरी चौराहा, रा

पत्रिका जबलपुर 12/2/2026

दीवारों और छज्जे का प्लास्टर उधड़ा

करमेता का एकीकृत माध्यमिक स्कूल बदहाल, फिर भी नहीं हो रही मरम्मत

हैंडपम्प का दूषित पानी पीने को मजबूर छात्र

पत्रिका ZOOM रिपोर्टर
patrika.com

पत्रिका ZOOM ग्राउंड रिपोर्ट

जबलपुर. शहर के शासकीय स्कूलों की हालत दयनीय है। लम्बे समय से स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं होने से छात्र खतरे के बीच पढने को मजबूर हैं। अधिकांश स्कूलों में न तो खेलने के लिए पर्याप्त मैदान है और न ही मूलभूत सुविधाएं। ऐसी ही स्थिति पाटन रोड पर करमेता के शासकीय एकीकृत माध्यमिक स्कूल की है। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से छात्र और शिक्षक परेशान हैं। एआई के दौर में यहां के बच्चे आज भी दरी और टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। पत्रिका टीम ने स्कूल भवन का जायजा लिया तो ऐसे हालात मिले।

छत पर उगी घास, शाम होते ही शराबियों का अड्डा

एकीकृत माध्यमिक स्कूल भवन की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। छज्जों का प्लास्टर उधड़ गया है। छतों पर घास उग आई है। स्कूल में खेल मैदान तो है, लेकिन उसमें गिट्टी और पत्थर का बेस डाला गया है। खेलते समय पैरों में पत्थर चुभते हैं। बॉउंड्रीवॉल नहीं होने से मवेशी स्कूल परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। शिक्षकों ने बताया कि शाम होते ही असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। इस सम्बंध में शिक्षा विभाग को अवगत कराने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं।

करमेता के एकीकृत माध्यमिक स्कूल का जर्जर भवन।

दूषित पानी दिखाती छात्राएं।

मटमैला निकलता है पानी

स्कूल में पीने के पानी के लिए हैंडपम्प है, लेकिन उसका पानी गंदा है। शिक्षकों ने बताया कि छात्र घर से पानी लेकर आते हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि हैंडपम्प का पानी मटमैला है। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल में मात्र एक शौचालय है, जिसका उपयोग सभी करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में अलग से शौचालय बनाया गया है, लेकिन उसमें ताला लगे होने से उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्राधानाचार्य राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि स्कूल भवन के पास नाले के कारण हैंडपम्प से गंदा पानी आ रहा था। कुछ दिन पहले हैंडपम्प की मरम्मत कराई गई है, जिससे पानी स्वच्छ आने लगा है।

37

A/4

...ploy addi- shouting "Outsiders go back!" ▶Continued on P 3

4/1/2026

Commissioner removed as toll rises in Indore

Salil.Mekaad@timesofindia.com

Indore: The Madhya Pradesh govt removed Indore municipal commissioner Dileep Kumar Yadav, and suspended additional commissioner Rohit Sisoniya and PHE engineer in-charge Sanjeev Srivastava late Friday, its first major action in the contaminated water tragedy in Indore's Bhagirathpura, in which people fell ill since Dec 29 in a city ranked on multiple occasions as India's cleanest. The action came on a day the toll rose to 10 with the death of a 68-year-old woman. Pradeep Nigam, in-charge superintendent engineer of IMC water distribution dept, was also removed from his post. Three additional commissioners were posted to IMC after a meeting chaired by additional chief secretary Sanjay Dubey, who has been in Indore.

Times of India

Drinking water in MP unsafe: Centre's survey

Amarjeet.Singh1
@timesofindia.com

Bhopal: A recent Union govt assessment under the Jal Jeevan Mission found that 36.7% of drinking water samples from rural Madhya Pradesh were not potable, highlighting risks in village water supply systems as Indore faced outrage over the deaths of at least 10 people linked to contaminated drinking water supplied by the urban administration.

The Functionality Assessment of Household Tap Connections (FAHTC) 2024 covered 15,094 rural households between September and October 2024 and was released last month. The report stated: "Water samples were collected from 2 households per source or scheme... and tested for 3 types of parameters: E Coli, total coliform in NABL-accredited labs, and on-site testing for pH."

In Indore district, only 33% of surveyed rural households received potable water, which officials described as below acceptable levels.

District-wise findings showed wide variation. Alirajpur, Barwani, Jhabua, Narsinghpur and Sidhi reported 100% availability of potable water among surveyed households, while Anuppur, Dindori, Panna, Rewa and Umaria recorded 0 potable samples. Other districts reported low levels of potable water, including Gwalior (20.9%), Ashoknagar (21.9%), Morena (25.2%), Damoh (33.5%), Khandwa (35.2%), Ujjain (35.3%) and Shivpuri (36.4%). Bhopal (56.9%) and Jabalpur (54.3%) were close to the halfway mark.

The survey also flagged operational gaps. About 23.4% of households reported not receiving regular tap water supply, while 36.7% did not have functional taps at the time of the survey.

(38) (A-5)

प्रदेश शासन जबलपुर को राशियाँ दें।
पाईप लाईनों को हटाने डी.पी.आर. क्यों नहीं बना
नालियों से गुजर रही पाईप लाईनों को हटाये।
को राशियाँ दें।
सड़कों, बाजार, इंदौर, ग्वालियर को राशियाँ, जबलपुर को नहीं।
नालियों से गुजर रही पाईप लाईनों को हटायें।
80 प्रतिशत पाइप लाइन नाली- नालों से गुजर रही है।

VAKALATNAMA

(39)

IN THE COURT OF NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BHOPAL

O.A NO. /2026

Petitioner : **DR. P.G. NAJPANDEY & RAJAT BHARGAV**

Versus

Respondents : **UNION OF INDIA & OTHERS**

I, we, the Plaintiff/ appellant/ Claimant/ Petitioner / applicant. Or Defendant/ Respondents / Non-applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocates(s) named below to appear, act and plead in aforesaid case/ proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, correction modifications, review and recall of order passed in these proceedings, in this court or in any order Court in which the same may be tried/ heard/ proceeded with and also in the appellate, revisional or executing court in which proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/ them to sign and file pleadings, appeal, cross objections petitions, applications, affidavits or authorize him/ them to deemed necessary or proper for the prosecution/ defense of said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me/ us.

In witness thereof I we do hereunto set my /. Our hand to these present the contents of which have been duly understood by me/ us this…---day of 202 16.02.2026

Particular (in block letters of each Party Executing Vakalatnama)

Name and father's husband's name (if any)	Registered Address Number	E-mail Address	Telephone Number	Status in the case.	Full signature thumb impression.
Dr. P. G. Najpande S/o Late G.N. Najpande Rajat Bhargav S/o Late Sunil Bhargav	R/o 6/47 Ram Nagar Adhartal Jabalpur R/o H.N. 35/C Naya Gaw Rampur M.P. Jabalpur				

Accepted

Particulars (In Block letters of each advocate accepting Vakalatnama.

Full name & Enrollment No.s in state Bar Council		Address of service	E-mail	Telephone number	Full Signature
1	Prabhat yadav Enl.No. 2395/2006	D/9,new market dhanmantri nagar district jabalpur	Lawyerprabha29@gmail.com	8770168425	
2	Ravishankar yadav 1519/2002	Do	Ravishankar_yadav@yahoo.com	9425385582	
3	Amar Prakash Gupta 2700/2020	Sansakr parisar Gohalpur Jabalpur	amarparkash1993@gmail.com	9589180578	
4	Tarun Rawat 9866/2025	1618/A Punjab bank colony chetital jabalpur	Rawatt98@gamil.com	7898491258	
5	Ashish Thakur 10116/2025			9300122242	
6	Sachin swami 10125/2025			9826880853	
7	Ratan kumar raja 12123/2025			8989141007	